

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
लोक सभा
23.07.2025 के
अतारांकित प्रश्न सं. 608 का उत्तर

दिल्ली में रोड ओवरब्रिज और अंडरब्रिज का निर्माण

608. श्री योगेन्द्र चांदोलिया:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार दिल्ली में रेलवे क्रॉसिंग पर रोड ओवरब्रिज और रोड अंडरब्रिज के निर्माण की आवश्यकता से अवगत है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;
- (ख) विशेष रूप से किराड़ी, घेवरा, नरेला, सिरसपुर, खेड़ा कलां, टिकरी कलां, होलंबज कलां, भोरगढ़ और बादली स्टेशन से रोहिणी सेक्टर-18 मेट्रो स्टेशन तक प्रस्तावित रोड ओवरब्रिज और अंडरब्रिज का स्थान, संरेखण और अनुमानित लागत सहित ब्यौरा क्या है;
- (ग) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं कि प्रस्तावित रोड ओवर ब्रिज (आरओबी) और अंडर ब्रिज (आरयूबी) को क्रैश बैरियर, पैदल यात्री क्रॉसिंग और आपातकालीन अनुक्रिया प्रणालियों सहित सुरक्षा सुविधाओं के साथ डिज़ाइन और निर्मित किया जाए; और
- (घ) प्रस्तावित रोड ओवर ब्रिज (आरओबी) और रोड अंडर ब्रिज (आरयूबी) के पूरा होने की समय-सीमा क्या है और उनके निर्माण और रखरखाव के लिए जिम्मेदार एजेंसियों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (घ): भारतीय रेल में समपारों के स्थान पर ऊपरी/निचले सड़क पुलों के निर्माण कार्यों की स्वीकृति एक निरंतर एवं सतत् प्रक्रिया है। ऐसे कार्यों की प्राथमिकता निर्धारित की जाती है और रेलगाड़ी परिचालन में संरक्षा, गाड़ियों की गतिशीलता पर इसके प्रभाव तथा सड़क उपयोगकर्ताओं पर पड़ने वाले प्रभाव और व्यवहार्यता आदि के आधार पर इन्हें शुरू किया जाता है।

भारतीय रेल में वर्ष 2004-14 की तुलना में वर्ष 2014-25 (जून 2025) के दौरान निर्मित ऊपरी/निचले सड़क पुलों की संख्या निम्नानुसार हैं:

अवधि	निर्मित ऊपरी/निचले सड़क पुल
2004-14	4,148 अदद
2014-25 (जून 2025)	13,426 अदद (दिल्ली राज्य में 14 अदद ऊपरी/निचले सड़क पुल सहित)

दिनांक 01.04.2025 की स्थिति के अनुसार, भारतीय रेल में 1,00,860 करोड़ रुपए की लागत पर 4,402 अदद ऊपरी/निचले सड़क पुलों को स्वीकृत किया गया है, जो योजना और निष्पादन के विभिन्न चरणों में हैं। दिल्ली राज्य में 649 करोड़ रुपए की लागत पर 16 अदद ऊपरी/निचले सड़क पुल स्वीकृत किए गए हैं, जिनका ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्र.सं.	स्थान	आरओबी/आरयूबी/एफओबी	लागत (करोड़ रुपए में)	टिप्पणी
1	दिल्ली-बठिंडा खंड पर समपार सं.18 (घेवरा)	ऊपरी सड़क पुल	109	इस कार्य को लागत साझाकरण के आधार पर स्वीकृत किया गया था। तत्पश्चात, राज्य सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं प्राप्त होने के कारण इस कार्य को आगे नहीं बढ़ाया जा सका। अब इस कार्य को रेलवे की लागत पर शुरू किया जा रहा है। सामान्य व्यवस्था आरेख तैयार करने का कार्य शुरू कर दिया गया है।
2	दिल्ली-अंबाला खंड पर समपार सं. 16 (नरेला)	निचले सड़क पुल	165	शुरूआत में यह कार्य ऊपरी सड़क पुल के निर्माण के लिए स्वीकृत किया गया था। इसके बाद राज्य सरकार के अनुरोध पर कार्य योजना में परिवर्तन अर्थात् ऊपरी सड़क पुल से निचले सड़क पुल में बदलाव के प्रस्ताव को रेलवे ने मंजूरी दे दी

				है। तदनुसार, सामान्य व्यवस्था आरेख तैयार करने का कार्य शुरू कर दिया गया है।
3	दिल्ली-अंबाला खंड पर समपार सं. 10 (सिरसपुर)	निचले सड़क पुल	4.76	सामान्य व्यवस्था आरेख को अनुमोदित कर दिया गया है। विस्तृत अनुमान को भी स्वीकृत कर दिया गया है। ठेका प्रदान कर दिया गया है। जनोपयोगी सुविधाओं की शिफ्टिंग का कार्य शुरू कर दिया गया है।
4	दिल्ली-अंबाला खंड पर समपार सं.11 (खेरा कलां)	निचले सड़क पुल	3.83	सामान्य व्यवस्था आरेख को अनुमोदित कर दिया गया है और विस्तृत अनुमान को स्वीकृत कर दिया गया है। ठेका प्रदान कर दिया गया है।
5	दिल्ली-अंबाला खंड पर समपार सं. 12 (खेरा कलां)	ऊपरी सड़क पुल	131.55	सामान्य व्यवस्था आरेख को अनुमोदित कर दिया गया है और विस्तृत अनुमान को स्वीकृत कर दिया गया है।
6	दिल्ली-अम्बाला खंड पर समपार सं. 14 (होलंबी कलां)	निचले सड़क पुल	9.1	विस्तृत अनुमान को स्वीकृत कर दिया गया है। सामान्य व्यवस्था आरेख तैयार कर दिया गया है।
7	दिल्ली-अंबाला खंड पर समपार सं. 15 (भोरगढ़)	निचले सड़क पुल	5.7	विस्तृत अनुमान को स्वीकृत कर दिया गया है। सामान्य व्यवस्था आरेख तैयार कर दिया गया है। जनोपयोगी सुविधाओं की शिफ्टिंग का कार्य शुरू कर दिया गया है।
8	दिल्ली-बठिंडा खंड पर समपार सं. 11 (सुल्तानपुरी)	ऊपरी सड़क पुल	53.62	यह कार्य दोहरी इकाई के आधार पर निष्पादित किया जा रहा है, अर्थात् रेलवे का भाग रेलवे द्वारा तथा पहुंच मार्ग का कार्य राज्य सरकार द्वारा पूरा किया जा रहा। रेलवे के भाग का कार्य

				पूरा कर दिया गया है।
9	दिल्ली-बठिंडा खंड पर समपार सं. 19	निचले सड़क पुल	1.37	सामान्य व्यवस्था आरेख तैयार करने का कार्य शुरू कर दिया गया है।
10	दिल्ली सराय रोहिल्ला-रेवाड़ी खंड पर समपार सं. 15	निचले सड़क पुल	21.70	सामान्य व्यवस्था आरेख को अनुमोदित कर दिया गया है। विस्तृत अनुमान को स्वीकृत कर दिया गया है।
11	दिल्ली सराय रोहिल्ला-रेवाड़ी खंड पर समपार सं. 17	ऊपरी सड़क पुल	22.36	सामान्य व्यवस्था आरेख को अनुमोदित कर दिया गया है। विस्तृत अनुमान को स्वीकृत कर दिया गया है।
12	दिल्ली-अंबाला खंड पर समपार सं. 18	निचले सड़क पुल	3.83	भूमि अनुपलब्धता के कारण कार्य रुका हुआ था, जिसे अब सुलझा लिया गया है। सामान्य व्यवस्था आरेख तैयार करने का कार्य शुरू कर दिया गया है।
13	नई दिल्ली यार्ड पर बिना समपार (बल्लीमारान)	पैदल पार पुल	15.42	सामान्य व्यवस्था आरेख को अनुमोदित कर दिया गया है। विस्तृत अनुमान को स्वीकृत कर दिया गया है तथा ठेका प्रदान कर दिया गया है।
14	दिल्ली-दयाबस्ती खंड पर (पुल डफ़रिन) का पुनर्निर्माण	ऊपरी सड़क पुल	37.78	सामान्य व्यवस्था आरेख को अनुमोदित कर दिया गया है। विस्तृत अनुमान को स्वीकृत कर दिया गया है।
15	दिल्ली-दयाबस्ती खंड पर (पुलबंगश) का पुनर्निर्माण	ऊपरी सड़क पुल	38.16	सामान्य व्यवस्था आरेख को अनुमोदित कर दिया गया है। विस्तृत अनुमान को स्वीकृत कर दिया गया है।
16	दिल्ली-दयाबस्ती खंड पर (पुल मिठाई) का पुनर्निर्माण	ऊपरी सड़क पुल	23.67	सामान्य व्यवस्था आरेख को अनुमोदित कर दिया गया है। विस्तृत अनुमान को स्वीकृत कर दिया गया है।

किराड़ी, टिकरी कलां और रोहिणी सेक्टर 18 मेट्रो स्टेशन पर ऊपरी/निचले सड़क पुल निर्माण कार्यों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्र.सं.	स्थान	टिप्पणी
1	दिल्ली-बठिंडा खंड पर समपार सं.12 (किराड़ी)	इस कार्य को लागत साझाकरण के आधार पर वर्ष 2015-16 में स्वीकृत किया गया था। तत्पश्चात, राज्य सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं प्राप्त होने के कारण इस कार्य को आगे नहीं बढ़ाया जा सका। किराड़ी नाले के संबंध में राज्य सरकार के साथ हुए समझौता जापन के अनुसार, अब यह कार्य राज्य एजेंसी द्वारा किया जाना है।
2	दिल्ली-बठिंडा खंड पर बिना समपार (टिकरी कलां)।	एलएचएस के निर्माण की व्यवहार्यता की जांच की गई और यह व्यवहार्य नहीं पाया गया है।
3	दिल्ली-अंबाला खंड पर बिना समपार वाला (रोहिणी सेक्टर 18 मेट्रो स्टेशन) पर ऊपरी सड़क पुल	इस स्थान पर रोहिणी को समयपुर से जोड़ने के लिए रेलवे द्वारा चार लेन का लंबी ऊंचाई वाला सबवे (आकार - 2 x 10.5 मीटर x 5.5 मीटर) पहले ही मुहैया कराया जा चुका है।

रेलवे ने ऊपरी/निचले सड़क पुलों के निर्माण के लिए कई सुरक्षा उपाय किए हैं। इसमें उचित कैरिजवे चौड़ाई के साथ पहुंच मार्गों का उचित संरेखण और जहां भी संभव हो, पैदल पथ का प्रावधान भी शामिल है। इसके अलावा, ऊपरी/निचले सड़क पुलों में आवश्यकताओं के अनुसार उचित सड़क सतह, मानक संकेतक, संरक्षा बाड़, सड़क चिह्न, प्रकाश व्यवस्था और आवश्यकतानुसार गति अवरोधक का प्रावधान भी किया गया है।

ऊपरी/निचले सड़क पुल संबंधी कार्यों का पूरा होना और चालू करना समपारों को बंद करने की सहमति प्रदान करने के लिए राज्य सरकार द्वारा सहयोग, पहुँच संरेखण को अंतिम रूप देने, सामान्य आरेख व्यवस्था की स्वीकृति, भूमि अधिग्रहण, अतिक्रमण हटाना, बाधक जनोपयोगी सेवाओं का स्थानांतरण, विभिन्न प्राधिकरणों से सांविधिक स्वीकृतियां, परियोजना/कार्य स्थलों के क्षेत्र में विधि और व्यवस्था की स्थिति, जलवायु परिस्थितियों के कारण परियोजना विशेष/कार्य स्थलों के लिए वर्ष में कार्य महीनों की संख्या आदि जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है। ये सभी कारक परियोजनाओं/कार्यों के पूरा होने के समय को प्रभावित करते हैं।
